न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 7/2023

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1.श्री मोनेश दाधीच पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी नेहरू गेट के बाहर, वर्द्धमान कॉलेज के पास ब्यावर जिला अजमेर पुलिस थाना ब्यावर सिटी ब्यावर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री मोनेश दाधीच अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–ःआदेशः–

दिनांक 14.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 22.12.2022 को दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के क्रम में श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पावर हाउस के पास सेदरिया ब्यावर में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मंगल सिंह जाति रावत की दुकान सोनू टी स्टॉल पर पहुँचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी, जिसमें वक्त जांच मौके पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश रावत द्वारा रिफलिग इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से 14.2 कि.ग्रा. की क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से अवैध रूप से मारूति एस्टीम MPI VXI RJ-14-8C-7950 गैस भरी जा रही थी जिसका वाहन चालक श्री मोनेश दाधीच पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी नेहरू गेट के बाहर वर्द्धमान कॉलेज के पास ब्यावर जिला अजमेर होना पाया गया । इस संदर्भ में श्री ओमप्रकाश द्वारा बताया गया कि उसे सिलेण्डर अलग–अलग गैस डिलेवरी बॉय से 1100 रूपये प्रति सिलेण्डर प्राप्त होता है एवं एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को गाडी में रिफिल करने के 1200 रूपये लेता है। इस प्रकार श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रति सिलेण्डर पर 100 रूपये का मुनाफा कमाया जाता है। मौके पर रिफलिंग स्थान पर अवैध रूप से 2 किलोग्राम क्षमता के कुल 10 सिलेण्डर रिफलिग कार्य से रखे हुए पाये गये। इस प्रकार व्यवसायी ओमप्रकाश रावत द्वारा सघन आबादी के रिहायसी क्षेत्र में स्थित स्वयं की दुकान सोनू टी स्टॉल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से भण्डारण कर घरेलू एलपीजी

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

सिलेण्डरो से मारूति कार में अवैध रूप से रिफलिग की जा रही थी जो कि मानव जीवन के लिए अत्यत घातक एवं दुर्घटना की प्रबल संभावना कारक होना पाया गया । अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) की अवहेलना किये जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी के 10 सिलेण्डरो मय 109 किलो 300 ग्राम एलपीजी, 02 इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मोटर (मशीन) एवं 01 इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म कांटा को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर नजदीकी गैस एजेन्सी ज्वाला इण्डेन गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री लोकेश सांखला पुत्र श्री मागीलाल सांखला को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रांकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर श्री ओमप्रकाश रावत द्वारा रिफलिग इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से 14.2 किग्रा की क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से अवैध रूप से वाहन मारूति एस्टीम MPI VXI वाहन संख्या RJ-14-8C-7950 मे गैस भरी जाना पाये जाने से उक्त वाहन को राजहित में वाहन मालिक श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामपाल से कब्जेराज लेकर भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना ब्यावर को अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में रखा गया है। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1) (a) (b) (c) (d) (2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में वाहन मारूति एस्टीम MPI VXI वाहन संख्या RJ-14-8C-7950 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी 1 मोनेश उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रा.पत्र वास्ते जब्तशुदा मारूति एस्टीम MPI VXI वाहन संख्या RJ-14-8C-7950को सुपुर्दगीनामे पर छोडने का प्रस्तुत किया गया। प्रकरण सुनवाई दौरान अप्रार्थी उनके अभि. उपस्थित आये।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि दिनांक 22.12.2022 को दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के कम में श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पावर हाउस के पास सेदरिया ब्यावर में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मंगल सिंह जाति रावत की दुकान सोनू टी स्टॉल पर पहुॅचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी, जिसमें वक्त जांच मौके पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश रावत द्वारा रिफलिग इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से 14.2 कि.ग्रा. की क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से अवैध रूप से मारूति एस्टीम MPI VXI RJ-14-8C-7950 गैस भरी जा रही थी जिसका वाहन चालक श्री मोनेश दाधीच पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा निवासी नेहरू गेट के बाहर वर्द्धमान कॉलेज के पास ब्यावर जिला अजमेर होना पाया गया । इस संदर्भ में श्री ओमप्रकाश द्वारा बताया गया कि उसे सिलेण्डर

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

अलग–अलग गैस डिलेवरी बॉय से 1100 रूपये प्रति सिलेण्डर प्राप्त होता है एवं एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को गाडी में रिफिल करने के 1200 रूपये लेता है। इस प्रकार श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रति सिलेण्डर पर 100 रूपये का मुनाफा कमाया जाता है। मौके पर रिफलिंग स्थान पर अवैध रूप से 2 किलोग्राम क्षमता के कुल 10 सिलेण्डर रिफलिग कार्य से रखे हुए पाये गये। इस प्रकार व्यवसायी ओमप्रकाश रावत द्वारा सघन आबादी के रिहायसी क्षेत्र में स्थित स्वयं की दुकान सोनू टी स्टॉल पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध रूप से भण्डारण कर घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो से मारूति कार में अवैध रूप से रिफलिग की जा रही थी जो कि मानव जीवन के लिए अत्यत घातक एवं दुर्घटना की प्रबल संभावना कारक होना पाया गया । अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख) एवं खण्ड 6(1)(क)(ग) की अवहेलना किये जाने के कारण घरेलू एल.पी.जी के 10 सिलेण्डरो मय 109 किलो 300 ग्राम एलपीजी, 02 इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मोटर (मशीन) एवं 01 इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म कांटा को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर नजदीकी गैस एजेन्सी ज्वाला इण्डेन गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री लोकेश सांखला पुत्र श्री मागीलाल सांखला को बुलवा कर सत्यापित व मुद्रांकित कांटे से वजन करवाकर आगामी आदेशो तक सुपुर्दगी में दिये गये। मौके पर श्री ओमप्रकाश रावत द्वारा रिफलिग इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से 14.2 किग्रा की क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से अवैध रूप से वाहन मारूति एस्टीम MPI VXI वाहन संख्या RJ-14-8C-7950 मे गैस भरी जाना पाये जाने से उक्त वाहन को राजहित में वाहन मालिक श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामपाल से कब्जेराज लेकर भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना ब्यावर को अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में रखा गया है। इस प्रकार अभियुक्त का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1) (a) (b) (c) (d) (2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः अवैध रूप से किये गये उक्त कृत्य में वाहन मारूति एस्टीम MPI VXI वाहन संख्या RJ-14-8C-7950 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे। जवाब में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र 6 ए मुकदमें के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त मारूति एस्टीम MPI VXI वाहन संख्या RJ-14-8C-7950 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के हमराह अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, खान मोहम्मद प्रवर्तन निरीक्षक, योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पावर हाउस के पास

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

सेदरिया ब्यावर में श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मंगल सिंह जाति रावत की दुकान सोनू टी स्टॉल पर पहुॅचकर जांच दल द्वारा जांच कार्यवाही की गयी, जिसमें वक्त जांच मौके पर पाया गया कि श्री ओमप्रकाश रावत द्वारा रिफलिग इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से 14.2 कि.ग्रा. की क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से अवैध रूप से मारूति एस्टीम MPI VXI RJ-14-8C-7950 गैस भरी जा रही थी उस समय वाहन चालक श्री मोनेश स्वंय मौके पर मौजूद था उसकी मौजूदगी में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस को उक्त रिफिलिंग मशीन के जरिये उपरोक्त मारूति एस्टीम MPI VXI RJ-14-8C-7950 में भरी जाकर अवैध कृत्य किया जा रहा था इससे उपरोक्त वाहन में घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस का अवैध उपयोग किया जाना/होना स्पष्ट है इस प्रकार अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर कीं गैस को रिफिलिंग मशीन द्वारा वाहन के किट में भरे जाने मारूति एस्टीम MPI VXI RJ-14-8C-7950 वजह सबूत के कब्जेराज लिया गया। अप्रार्थी ने मारूति वैन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। उपरोक्त स्थिति के तहत अप्रार्थी स. 1 द्वारा एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड सं. 3(1) (C) 4(1) (a) (e) तथा 6 का उलंघन स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अभि. 1935 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त मारूति एस्टीम MPI VXI RJ-14-8C-7950 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप रूपये 15,000/—अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वैन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.03.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर